

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उत्तर प्रदेश

क्रमांक संख्या 434
दिनांक 16/11/24

संख्या: सी- 11 / ई-1.

लखनऊ: दिनांक: 11 जनवरी, 2024

कार्यालय-ज्ञाप

शासनादेश संख्या-84/2015/4572/सत्ताईस-1-2015-1/14, दिनांक-22.12.2015 एवं शासनादेश संख्या-3636/सत्ताईस-1-2017-01/14, दिनांक-24.11.2017 में निहित प्राविधानानुसार श्री आशुतोष सारस्वत, अधिशासी अभियन्ता, शारदा सहायक खंड-51 प्रतापगढ़ को अपने वर्तमान कार्यभार के अतिरिक्त द्वैत कार्यभार में सिंचाई खण्ड-2, प्रतापगढ़ का कार्यभार नितान्त कामचलाऊ व्यवस्थान्तर्गत अग्रिम आदेशो तक सम्पादित किये जाने के आदेश एतद्वारा निर्गत किये जाते हैं।

इस निमित्त श्री आशुतोष सारस्वत, अधिशासी अभियन्ता को अतिरिक्त कार्यभार हेतु कोई अतिरिक्त वेतन, भत्ते आदि देय नहीं होंगे।


अनिल कुमार
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

संख्या: सी- 11 / ई-1 / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को शासनादेश संख्या-84/22015/4572/सत्ताईस-1-2015-1/14, दिनांक-22.12.2015 एवं शासनादेश संख्या-3636/सत्ताईस-1-2017-01/14, दिनांक-24.11.2017 के अन्तर्गत उक्त किये गये आदेश का औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने की कृपा करें।
2. प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन/परियोजना) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (मध्य), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (अनुश्रवण एवं समन्वय वाह्य सहायतित परियोजनाए)/ (शारदा सहायक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ० प्र०, लखनऊ।
5. सम्बन्धित अधिकारी।
6. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (जांच), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ० प्र०, लखनऊ।
7. अधीक्षण अभियन्ता, (कम्प्यूटर केन्द्र), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ० प्र०, लखनऊ।
8. प्रशासनिक अधिकारी (ई-1)/प्रशासनिक अधिकारी (ई-3), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ० प्र०, लखनऊ।
9. वैयक्तिक सहायक, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

शारदा सहायक, जल संसाधन विभाग


11/01/2024
(दीपक कुमार)
मुख्य अभियन्ता (कार्मिक-1/3)